

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं०-41- औस एवं विनियम/पाकालि/10-5 विनियम/98

दिनांक: 15 मई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सहयोगी विद्युत वितरण एवं पारेषण कम्पनियों में विभागीय कार्मिकों की अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-61 औस एवं विनियम/पाकालि/08-2 (21)एनजीए/04 दिनांक : 06.11.08 द्वारा उ० प्र० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन, 1972, जो सम्प्रति कारपोरेशन में प्रभावी है, का विनियम-17 प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रतिस्थापन के प्रस्तर-य में अवर अभियन्ता के पद पर चयन हेतु अनुभव के लिए 35 अंक निर्धारित किये गये हैं। इन 35 अंकों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये 01 अंक के आधार पर किया जाना है। इस बिन्दु पर यह स्पष्ट किया जाता है कि 35 अंकों के निर्धारण हेतु सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उन सभी पदों पर दी गई सेवाओं को संज्ञान में लिया जायेगा, जो परिचालकीय संवर्ग में बिना व्यवधान के पूरी की गई हो चाहे वे किसी पद यथा प-1, प-2, प-3 एवं प-4 पर की गई हो।

2. उक्त सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उ० प्र० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन, 1972, के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

१. (२०-११-०८)

मु०/व०
निकासी (व०)
नमिष बरि.

अशोक जग्निहोत्री
महाप्रबन्धक (औस)

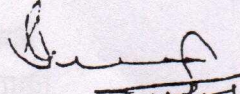
सं०-41 (1)- औस एवं विनियम/पाकालि/10-5 विनियम/98 तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ० प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।

15/5/10
DSI
27/5

PA-2

4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा/कैस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/असा०/कादिनो उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. पत्रावली सं० 2(21)एनजीए/०४.


(जावेद अहमद) 5/5/18
अनुसचिव